8/12/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित हैं। विपक्षी सं 1 व 2 तामील
होकर प्राप्त हुई जिसे शा पत्रावली की
गई एवं विपक्षी सं 1 की तामील जरिये
रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई डाक
रसीद एवं ऑनलाइन रिपोर्ट शा पत्रावली की
गई विपक्षी सं 1 को दिनांक 27/11/25
को तामील प्राप्त हो गई। अतः न्यायालय
समय तक इंतजार किया गया लेकिन
विपक्षी सं 1 को बार बार आवाज
लगवाई गई व विपक्षी सं 1
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
अतः विपक्षी सं 1 के विरुद्ध अदम
हाजरी अदम पैरवी के कारण एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। निर्णय आज खुले न्यायालय
में सुनाया गया। एवं विपक्षी सं 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील हुक्म जारी हुए

औपचारिक पक्षकार होने से
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया
कि ग्राम लडपी पत्थर हल्का पीपल खारखेडे
तहसील रायपुर प्रार्थी की स्वामित्वदारी
अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजीखसरा
1333/1033 रकबा 0.76 है भूमि अन्य
आराजी के साथ खाता सं. 74 पर दर्ज
रिकार्ड है उक्त आराजी का विभाजन
होकर उक्त प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है

उक्त आराजी का विभाजन से पहले एक
आराजी न. 1033 में दर्ज रिकार्ड थी
जिसमें से विपक्षी न. 1 कि आराजी
न. 1332/1033 रकबा 0.32 हेक्टर भूमि
विभाजन से दर्ज हुई / एवम विपक्षी
ने उक्त आराजी प्रार्थी के भाई परिवार
से क्रय की थी उक्त क्रय विपक्षी की
आ.न. 1332/1033 के पश्चिम भाग में
प्रार्थी के आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ा
रास्ता छोड़ा जो वर्तमान में मौजूद है
रास्ते की भूमि को छोड़कर अपनी
खरीद शुदा भूमि में पत्थर इत्यादि
डाल रखे है मौके के फोटोग्राफ
का पत्र के साथ पेश है। इस प्रार्थना
पत्र में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक
6/10/2025 को निर्णय पारित किया गया
जो मौका रिपोर्ट के आधार पर जारी
फरमाया गया लेकिन मौके स्थिति में
काफी अन्तर है वैकल्पिक रास्ता राजस्व
नक्शा ट्रेस में डोटेड है जो बन्द
होना पाया गया उक्त पुनर्विलोकन
याचिका प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई
पुनर्विचार कर रास्ते को रिकार्ड में

... व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज कराने हेतु निवेदन किया मूल प्रार्थना पत्र मैं प्रार्थी के पक्ष मैं निष्पादित इकरार नामा पेश नही किया गया। इकरार नामा विपक्षी भीमा द्वारा उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थी को दिया गया था जो पुनरीक्षण याचिका के साथ पुनः पेश है। ऐसी स्थिति में सादर निवेदन है कि पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 144 CPC का प्र.पत्र स्वीकार करमाया जाने का निवेदन किया गया।	
	प्रार्थी वकील को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया न्यायहित मे पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 144 CPC का प्र.पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई किन्तु शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी एवं विपक्षी के बीच इकरार नामा हुआ जिसकी फोटो प्रति भी साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।	
	अतः पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 144 CPC का प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A RTA प्र.स. 2/2025 उनवान धन्ना रावत पि. वेणा रावत नि. लडकी बनाम भीमा पि. बाबू रावत चौकीदार नि. लडकी मैं दिनांक 6/10/2025 पारित निर्णय मैं न्यायिक समीक्षा के आधार पर पुनर्मूल्यांकन कर नये सिरे से निर्णय पारित करने करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होवे। मूल पत्रावली के साथ संलग्न होकर नत्थी हो।	
	...कलक्टर (प्रा.डी.ओ.)	